न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

अपील सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 2021	10.03.2021	27.07.2023

1. कौशल्या पुत्री सुरजी पुत्री रामदेई पत्नी नानगराम जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर राज० हाल पत्नी स्व0 रामस्वरूप जाति अहीर निवासी ग्राम पाटनअहीर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर राज० जरिये मुख्तयार आम रणधीर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम खोह तहसील मानेसर जिला गुडगांवा।

अपीलान्टा

बनाम

1. अभयसिंह पुत्र हरिसिंह पुत्र जयनारायण जाति अहीर
2. संतरा पुत्री हरिसिंह पुत्र जयनारायण जाति अहीर
3. शकुन्तला पुत्री हरिसिंह पुत्र जयनारायण जाति अहीर
4. रतन पत्नी कर्णसिंह पुत्र हरिसिंह पुत्र जयनारायण जाति अहीर
5. अनुप कुमार पुत्र कर्णसिंह पुत्र हरिसिंह पुत्र जयनारायण जाति अहीर
6. मुकेश पुत्री कर्णसिंह पुत्र हरिसिंह पुत्र जयनारायण जाति अहीर
7. मन्जू पुत्री कर्णसिंह पुत्र हरिसिंह पुत्र जयनारायण जाति अहीर
8. रतनसिह पुत्र घीसाराम जाति अहीर
9. महीपाल पुत्र रतनलाल जाति अहीर
10. हंसराज पुत्र रतनलाल जाति अहीर
11. ग्यारसी पत्नी रामस्वरूप जाति अहीर
12. भूपसिहं पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर
13. महेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर
14. सुभाषचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर
15. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर
16. संतरा पत्नी रामप्रसाद पुत्र मूला जाति अहीर
17. सतीश पुत्र रामप्रसाद पुत्र मूला जाति अहीर
18. अशोक पुत्र रामप्रसाद पुत्र मूला जाति अहीर
19. सतपाल पुत्र रामप्रसाद पुत्र मूला जाति अहीर
20. कमला पुत्री रामप्रसाद पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
21. नन्दराम पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
22. मातादीन पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
23. शेरसिंह पुत्र तारा जाति अहीर
24. कंवरसिंह पुत्र तारा जाति अहीर
25. रामावतार पुत्र सुल्तान पुत्र मूला जाति अहीर
26. गीता देवी पत्नी दाताराम पुत्र सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
27. अजय पुत्र दाताराम पुत्र सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
28. सुमन पुत्री दाताराम पुत्र सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
29. रेखा पुत्री दाताराम पुत्र सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
30. पूनम पुत्री दाताराम पुत्र सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
31. प्रियंका पुत्री दाताराम पुत्र सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
32. महावीर पुत्र सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
33. रमेश पुत्र सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
34. नरेश पुत्र सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
35. बनारसी पुत्री सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
36. ग्यारसी पुत्री सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
37. रोशनी पुत्री सुलतान पुत्र मूला पुत्र नेतराम जाति अहीर
38. अमरसिंह पुत्र प्रहलाद जाति अहीर
39. अतरसिंह पुत्र प्रहलाद जाति अहीर
40. सुरेश पुत्र प्रहलाद जाति अहीर

41 श्रीमती सुमन पत्नी स्व० कृष्ण पुत्र प्रहलाद जाति अहीर
42 दीपक पुत्र स्व0 कृष्ण पुत्र प्रहलाद जाति अहीर
43 मीना पुत्री स्व कृष्ण पुत्र प्रहलाद जाति अहीर
44 रामसिंह पुत्र किशोर जाति अहीर
45 रूपेजी पुत्र इमरता जाति अहीर
46 रामनारायण पुत्र इमरता जाति अहीर
47 रामसिंह पुत्र रामस्वरूप पुत्र छाजूराम जाति अहीर
48 कमला पुत्री रामस्वरूप पुत्र छाजूराम जाति अहीर
49 कलेस पुत्री रामस्वरूप पुत्र छाजूराम जाति अहीर
50 बिमला पुत्री रामस्वरूप पुत्र छाजूराम जाति अहीर
51 राजबाला पुत्री रामस्वरूप पुत्र छाजूराम जाति अहीर
52 सुन्दो पत्नी गौरीसहाय पुत्र छाजूराम जाति अहीर
53 कृष्ण पुत्र गौरीशाय पुत्र छाजूराम जाति अहीर
54 रविन्द्र पुत्र स्व गौरीशाय पुत्र छाजूराम जाति अहीर
55 सविता पुत्री स्व० गोरीसहाय पुत्र छाजूराम जाति अहीर
56. मनीषा पुत्री स्व० गोरीसहाय पुत्र छाजूराम जाति अहीर
57. कृष्ण पुत्री स्व0 गोरीसहाय पुत्र छाजूराम जाति अहीर
58. मंतेरी पुत्री स्व० गोरीसहाय पुत्र छाजूराम जाति अहीर
59. सत्येन्द्र पुत्र लालाराम पुत्र छाजूराम जाति अहीर
60. हंसराज पुत्र लालाराम पुत्र छाजूराम जाति अहीर
61. निर्मला पुत्री लालाराम पुत्र छाजूराम जाति अहीर
62. औमी पुत्री लालाराम पुत्र छाजूराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना।
63. प्रदीप कुमार पुत्र धनपतसिंह जाति अहीर निवासी पटन तह0 कोटकासिम
64. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला अलवर राज
65. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना
66. सरपंच ग्राम पंचायत रोडवाल पंचायत समिति नीमराना जिला
67. शाखा प्रबन्धक बी0ओ0बी शाखा नीमराना
68. शाखा प्रबंधक युनियन शाखा नीमराना

रेस्पाडेन्टान

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 28.07.1966 बाबत इंतकाल सं. 127 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर (राज0) जो कि सरपंच ग्राम पंचायत रोडवाल द्वारा मृतका के वारिसान की बिना जांच किये ही खिलाफ मौका, खिलाफ कानून, नियम विरुद्ध स्वीकृत किया गया है उसे निरस्त करार दिया जाकर मृतका रामदेई बेवा नानगराम के विधिक वारिसान की जांच कर मृतका रामदेई की विरासत का इंतकाल खोला जाने बाबत ।

अपील के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है:-

1. अपीलान्टा ने अपील पेश कर निवेदन किया कि मिन अपीलान्टा ग्राम पाटनअहीर तह० कोटकासिम की निवासी है तथा मृतक रामदेई पत्नी नानगराम की जायज वारिस है तथा रेस्पो. सं. 1 लगा 62 ग्राम रोडवाल के रहने वाले है व रेस्पोडेन्ट सं0 63 ग्राम पाटन अहीर तह0 कोटकासिम का रहने वाला है तथा रेस्पो0 66 ग्राम पंचायत रोडवाल का सरपंच है तथा रेस्पो० सं० 64,65 राज्य सरकार के प्रतिनिधि अधिकारी है एवं रेस्पोडेन्ट सं0 67,68 वित्तीय संस्था बैंक के अधिकारी है।
2. साबिक ख.नं. 126, 164, 188, 207, 227, 302, 305, 323, 334, 425, 427, 431, 539, 547, 561, 562, 567, 569 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा तह0 नीमराना की खातेदार अपीलान्टा की नानी जी मुस0 रामदेई बेवा नानगराम कौम अहीर थी जैसा की मिसल जमाबन्दी संवत 2020 मे दर्ज

है। जिसके संवत 2042 के नये खसरा नम्बर 153, 187,199,211,236, 301, 302, 303, 304, 342, 343, 344, 345, 353, 370, 371, 521, 398, 399, 512, 513, 514, 515, 555, 556, 519, 531, 532, 528, 636, 638, 644, 665, 666, 669, 670,663, 6664 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा कायम किये गये है। जिसका होल्डिंग संवत 2042 की नकल संलग्न है।

3. अपीलान्टा की नानीजी श्रीमती रामदेई पत्नी श्री नानगराम की एक मात्र विधिक वारिस मिन अपीलान्टा की माताजी सूरजी पुत्री नानगराम थी और मुस० रामदेई की मृत्यु होने पर उक्त उनकी विरासत मे मिन अपीलान्टा की माताजी श्रीमती सूरजी देवी को उक्त आराजी मुतनाजा प्राप्त हुई थी तथा मौके पर भी उक्त आराजी पर मुस० सूरजी देवी ही काबिज थी। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा मिन अपीलान्टा की माताजी के खानदान के अन्य लोगो के प्रभाव मे आकर, मिन अपीलान्टा की नानीजी रामदेई पत्नी नानगराम की विरासत का इंतकाल सं0 127 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा भरा गया उसकी पुश्त पर मृतका के खानदान के पूर्वज भानीसहाय के वारिसान का सजरा बनाकर व उस सजरा के मुताबिक मुस. रामदेई की विरासत का इंतकाल खिलाफ कानून, खिलाफ मौका नियम विरूद्ध भरा जाकर उसे सरपंच ग्राम पंचायत रोडवाल के समक्ष पेश किया गया और सरपंच ग्राम पंचायत रोडवाल द्वारा भी उक्त इंतकाल मे मृतका के विधिक वारिस की बिना जांच किये ही पटवारी हल्का द्वारा मृतका के खानदान के सभी लोगो के नाम से भरा गया गलत इंतकाल सं0 127 को दिनांक 28.07. 1966 को स्वीकृत कर दिया गया। जिस इंतकाल मे अपीलान्टा की माताजी के नाम से मात्र 1/8 हिस्सा की विरासत का इंतकाल दर्ज हुआ तथा शेष 7/8 हिस्सा खानदान के अन्य लोगो के नाम खोल दिया गया जो इंतकाल खिलाफ मौका, खिलाफ कानून, खिलाफ मृतक के वारिसान है ।

4. राजस्व रिकार्ड मे इंतकाल सं0 127 के जरिये मिन अपीलान्टा की माताजी के नाम से 1/8 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई बल्कि मौके पर मिन अपीलान्टा की माताजी को उनकी माताजी मुस० रामदेई की विरासत मे सम्पूर्ण भूमि प्राप्त हुई है और मौके पर भी सम्पूर्ण भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त करती थी तथा मिन अपीलान्टा की माताजी सूरजी देवी की मृत्यु होने पर मिन अपीलान्टा को उक्त सम्पूर्ण आराजी उनकी विरासत मे प्राप्त हुई और मौके पर मिन अपीलान्टा अपनी माताजी एवं नानीजी के पदचिन्हो पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त करती चली आ रही हूँ। इसलिए मिन अपीलान्टा की माताजी को व मिन अपीलान्टा को उक्त गलत इन्तकाल सं0 127 की जानकारी नही थी तथा मिन अपीलान्टा को अपने घर खर्च हेतु रूपयो की आवश्यकता होने पर मैने अपनी उक्त आराजी मुतनाजा मे से कुछ भूमि का बेचान रेस्पो0 सं0 63 को कर दिया गया। जिस बेचान के आधार पर उक्त भूमि के 1/8 हिस्सा का बयनामा प्रदीप कुमार के नाम से दर्ज हो गया । मिन अपीलान्टा अनपढ ग्रामीण महिला होने के कारण बयनामा के समय मुझे इस बात की जानकारी नही हुई ना ही मुझे किसी ने यह जानकारी दी गई की इस भूमि मे मिन अपीलान्टा के नाम से 1/8 हिस्सा ही दर्ज है। मिन अपीलान्टा द्वारा आराजी मुतनाजा के 1/8 हिस्से पर प्रदीप कुमार को कब्जा दे दिया तथा शेष भूमि पर मिन अपीलान्टा का आज भी कब्जा काश्त है तथा अब मिन अपीलान्टा को अपने घर खर्च हेतु पुनः रूपयो की आवश्यकता हुई तब मैने अपनी शेष आराजी पर बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए फरवरी 2020 के प्रथम सप्ताह मे पटवारी हल्का के पास फाईल तैयार करवाने गई तब पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर बताया कि आपके नाम से कोई जमदीन नही है। इस पर मिन अपीलान्टा द्वारा साबिक रिकार्ड व मिन अपीलान्टा की नानीजी मुस० रामदेई की विरासत के इंतकाल सं0 127 की नकल दिनांक 06. 03.2020 ली तब पता चला कि इस आराजी मे मिन अपीलान्टा की नानीजी मुस० रामदेई का विरासत इंतकाल सं0 127 मिन अपीलान्टा की माताजी सुरजी देवी के बजाय उनके खानदान के सभी लोगो के नाम भरकर उसे स्वीकृतकिया गया है। इस पर मैने इंतकाल की नकल लेकर, रेस्पोडेन्टान को इस गलत इन्द्राज की जानकारी देकर, रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए कहा तो रेस्पोडेन्टान द्वारा कुछ दिन तो रिकार्ड दुरूस्त करने की हाँ भरते रहे और मुझे टरकाते रहे है और अब दिनांक 20.02.2021 को रेस्पोडेन्टान द्वारा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से साफ इंकार कर दिया और आराजी मुतनाजा को गलत इन्द्राजात के आधार पर जबरन कब्जा कर उसे दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। इसलिए मिन अपीलान्टा द्वारा इस बाबत अपने वकील साहब से कानूनी सलाह लेकर, यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। लेकिन फिर भी अपील के साथ देरी के समय की मियाद का मुजरा के लिए अलग से दफा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

5. इंतकाल स0 127 वाके ग्राम मुकन्दसिहपुरा को स्वीकृत आदेश दिनांक 28.07.1966 जो 7/8 हिस्सा रस्पोडेन्टान के नाम स्वीकृत करने का आदेश खिलाफ मौका, खिलाफ कानून, खिलाफ

वारिसान, नियम विरूद्ध पारित किया गया है। जो आदेश निम्न कारणो से निरस्त होने योग्य है.–

(क) इंतकाल सं0 127 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा मृतका मुसा० रामदेई बेवा नानगराम की विरासत का खोला गया है। जिस इंतकाल की पुश्त पर पटवारी हल्का द्वारा जो राजरा बनाया गया है वह गलत बनाया गया है तथा राजरा मे मृतका मुसा० रामदेई बेवा नानगराम की वारिस उसकी पुत्री मुसा० सरजी दुख्तर दर्ज की गई है। जब मृतका की विधिक वारिस उसकी पुत्री सूरजी जीवित है तो खानदान के अन्य वारिसान का राजरा दर्शित करने और राजरा के मुताबिक मृतका का विरासत का इंतकाल भरा जाना अपने आप में ही विधि विरूद्ध एवं गलत है और उक्त विधि विरूद्ध भरा गया इंतकाल को सरपंच ग्राम पंचायत रोडवाल द्वारा बिना जांच पड़ताल किये ही खिलाफ कानून, खिलाफ मौका नियम विरूद्ध स्वीकृत आदेश दिनांक 28.07.1966 को पारित किया गया है जो रेसपोन्डेन्टान के नाम स्वीकृत 7/8 हिस्से तक आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्त होने योग्य है निरस्त करार दिया जावे।

(ख) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के मुताबिक मृतका की प्रथम वारिस मिन अपीलान्टा की माताजी सूरजी देवी थी उसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं था इसलिए जब किसी मृतक का प्रथम वारिस जीवित हो तो उसके बाद किसी भी वारिस के नाम मृतक की विरासत का इंतकाल कानूनन नही खोला जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मृतका रामदेई की पुत्री मुसा० सुरजी देवी के जीवित रहते हुऐ इंतकाल सं0 127 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा पूरे खानदान के नाम खोला गया है जो अपने आप मे ही विधि विरूद्ध है। इसलिए इंतकाल सं0 127 हिस्सा–7/8 तक पारित आदेश निरस्त होने योग्य है निरस्त करार दिया जावे।

(ग) यह है कि इंतकाल सं0 127 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा से मिन अपीलान्टा की माताजी की विरासत मे मिन अपीलान्टा के नाम से आराजी मुतनाजा मे दर्ज खातेदारी हिस्सा–1/8 का बेचान रेस्पो0 सं0 63 को किया जा चुका है। शेष हिस्से पर मिन अपीलान्टा काबिज रहकर काश्त कर रही हूँ। आराजी मुतनाजा से रेसपोडेन्टान का कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है। लेकिन उनके नाम से इंतकाल सं0 127 गलत स्वीकृत किया जाने के कारण राजस्व रिकार्ड मे उनके नाम से गलत खातेदारी दर्ज हुई है। इसलिए इंतकाल सं0 127 स्वीकृत आदेश दिनांक 28.07.1966 रेसपोडेन्टान के नाम स्वीकृत 7/ 8 हिस्से तक निरस्त होने योग्य है।

(घ) यह है कि गलत इंतकाल सं0 127 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा दिनांक 28. 07.1966 के आधार पर रेसपोडेन्टान के नाम से आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी गलत दर्ज हुई है। जिस गलत इन्द्राजात की आड़ में रेसपोडेन्टान आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा करने व उसे दिगर जगह मुन्तकिल करना भी चाहते है इसलिए भी न्याय हित मे इंतकाल संव 127 द आदेश दिनांक 28.07.1966 हिस्सा–7/8 तक निरस्त होने योग्य है।

(ड) इंतकाल सं0 127 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत एवं विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया है। इसलिए इंतकाल सं0 127 की बाबत पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। ऐसी सूरत मे सरपंच ग्राम पंचायत रोडवाल तह० नीमराना द्वारा मृतका रामदेई बेवा नानगराम जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना की विरासत का इंतकाल संवत 127के स्वीकृत आदेश दिनांक 28.07.1966 को हिस्सा – 7 /8 तक निरस्त करार दिया जावे एवं उक्त इंतकाल के आधार पर खसरा नम्बर हाल 153, 187,188,211,236, 301, 302, 303, 304, 342, 343, 344, 345, 353, 370, 371, 521, 398, 399, 512, 513, 514, 515, 555, 556, 519, 531, 532, 528, 636, 638, 644, 665, 666, 669, 670, 663, 664 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा तह नीमराना जिला अलवर राज0 के हाल राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 सं0 63 के ननाम दर्ज 1/8 हिस्से को छोड़कर शेष 7ध8 हिस्से पर जो रेसपोडेन्टान या उनके बुजूर्गों के नाम दर्ज तमाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाने का आदेश फरमाया जावे एवं मृतका रामदेई पत्नी स्व० नानगराम की विरासत का इंतकाल उनकी एक मात्र विधिक वारिस अपीलान्टा के नाम स्वीकृत किया जाने का आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है।

6. अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत रोडवाल तह0 नीमराना द्वारा मृतका रामदेई बेवा नानगराम जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना की विरासत का इंतकाल सं0 127 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा की बाबत पारित आदेश दिनांक 28.07.1966 को 7/8 हिस्से तक निरस्त करार दिया जावे एवं उक्त इंतकाल के आधार पर खसरा नम्बर हाल 153, 187,188,211,236, 301, 302, 303, 304, 342, 343, 344, 345, 353, 370, 371, 521, 398, 399, 512, 513, 514, 515, 555, 556, 519, 531, 532, 528, 636, 638, 644, 665, 666, 669, 670, 663, 664 वाके ग्राम मुकन्दसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर राज० के हाल राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 सं0 63 के ननाम दर्ज 1/8 हिस्से को छोड़कर शेष 7/8 हिस्से पर जो

कारी
वर)

रेस्पोडेन्टान या उनके बुजुर्गों के नाम दर्ज तमाम खातेदारी इन्द्राज को कलनजन किया जाने का आदेश करनाया जावे एवं मृतका रानदेई पत्नी स्व० नानगरान की विरासत का इंतकाल उनकी एक मात्र विधिक वारिस अपीलान्टा के नाम स्वीकृत किया जाने का आदेश पारित किया जाने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

7 अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल रेस्पो0 न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुये। उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलान्टा की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टा ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये बताया कि मृतक रानदेई बेवा नानगा के एक मात्र वारिस पुत्री थी। परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत ने वारिसान की कोई जाच न कर मृतक की विरासत का इंतकाल अन्य परिवारजनो के नाम दर्ज कर दिया जो गलत है। मृतक रानदेई की विरासत मे केवल उसी एक विधिक वारिस पुत्री मुस0 सूरजी ही थी परन्तु सरपंच ग्रान पंचायत ने रेस्पो. के बुजुर्गान से साज बाज हो कर गलत रूप से इंतकाल दर्ज कराया है जो निरस्त योग्य है। अपील स्वीकार क जाकर ग्रान पंचायत का आदेश निरस्त करनाया जावे।

8 हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया नकल जमाबंदी संवत 2020 मू प्रबंध विभाग के अवलोकन से साबित है कि आराजी ख0न0 431/01-01, 539/0-17, 547/01-04, 561/0-12, 562/01-08, 567/0-05, 569/0-07, 126/00-10, 164/01-05, 188/0-17, 207/01-00, 272/05-04, 302/0-14, 305/0-08, 323/01-00, 425/0-16, 427/02-01 वाके ग्रान नुकन्दसिंहपुरा तह0 नीनराना जिला अलवर मु0 रानदेई बेवा नानगारान कोम अहीर सा.देह की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड थी। जिससे साबित है कि उक्त आराजी एकेली रानदेई की खातेदारी की थी। नकल इंतकाल सं0 127 के अवलोकन से साबित है कि सरपंच ग्रान पंचायत ने मृतक रानदेई के विधिक वारिसान की कोई जाच नही कि ओर इंतकाल को मनमाने तौर पर स्वीकृत किया गया है। सरपंच ग्रान पंचायत को निर्णय पारित करने से पूर्व मृतक रानदेई के विधिक वारिसान की जाच करनी चाहिए थे इस प्रकार प्रकरण मदोज जाच का मोहताज है इसलिए अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार नीनराना को वास्ते जाच रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतित होता है।

9 अतः आदेश है कि:-

अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर सरपंच ग्रान पंचायत रोडवाल पंचायत समिति नीनराना के आदेश दिनांक 28.07.1966 बाबत इंतकाल सं0 127 वाके ग्रान नुकन्दसिंहपुरा तह0 नीनराना निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार,नीनराना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वो मृतक मुस. रानदेई बेवा नानगा जाति अहीर सा0 रोडवाल के विधिक वारिसान की भली भांति जाच कर एवं अपीलान्टा को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/7/2023

मुकेश सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर,नीनराना